फाइल सं. ए.12018/74/2019-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में प्लम्बर-सह-मशीन फिटर (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में प्लम्बर-सह-मशीन फिटर (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 01/12/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक 01/12/22

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख.........., 2022

अधिसूचना

सा. का. नि............ - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर में (प्लम्बर-सह-मशीन फिटर), अराजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2002 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका लोप किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्लम्बर-सह-मशीन फिटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ प्लम्बर-सह-मशीन फिटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2._पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शाक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवशयक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्लम्बर-सह-मशीन फिटर	*01(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2, (19900-63200) रु.	लागू नही होता।	18 से 25 साल* * यदि भर्ती अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होती हो तब 18 से 27 साल (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए पैंतालीस साल तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा का निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	1. किसी मान्य बोर्ड से मैट्रीक अथवा समतुल्य अर्हता 2. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के व्यावसायिक ट्रेड में औद्योगिक की शिक्षण संस्थान/राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित प्लम्बर/फिटर ट्रेड परीक्षा या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण 3. प्लम्बर-सह-मशीन फिटर में एक वर्ष का अनुभव

					टिप्पण2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	नोट 1. अर्हताओं में उच्च अर्हताएं प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के दिशानिर्देशों पर छूट दी जाती है। नोट 2: यदि चयन में किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी का मत है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस समुदाय के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिनमें अपेक्षित अनुभव नहीं है तो इन समुदाय से सम्बंधित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव सम्बंधित योग्यता में छूट दी जाती है ।

पदोन्नति के मामले में **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नही होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : वे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत निम्नलिखित पद पर पदस्थ है; (क) नियमित आधार पर समान पद अथवा वेतन स्तर-2 (19900-63200रु.)	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (नियमितीकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर -सदस्य	लागू नही होता।

			(ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 में तीन साल की नियमित सेवा के साथ मल्टी टास्किंग स्टाफ का पद (1800-56900 रु.); और (ii) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ-7 के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित पात्रता।	3 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य	

फा.सं. ए.12018/74/2019-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार